न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2023/ 144

दिनांक :– 03.02.2023

मुकदमा नंबर 69/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. छगनाराम पुत्र मिसराराम जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा।		1. रणछोडराम पुत्र चेलाराम 2. महेश कुमार पुत्र मन्छाराम 3. बाबुलाल गोदपुत्र हरीरामजी जाति माली निवासी हनुमानजी मंदिर के पास गांधीपुरा बालोतरा 4. नगरपरिषद बालोतरा जरीये आयुक्त/सभापति नगर परिषद बालोतरा। 5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 हेतु पैमाईश जरिये पत्थरगड्ढी।

उपस्थित :– श्री भुपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी की और से
श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थीगण की और से

आदेश दिनाक :–03.02.2023

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 470 रकबा 3–03 बीघा, खसरा नं. 471 रकबा 3–14 बीघा, खसरा नं. 472 रकबा 07–08 बीघा सरहद मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा में पेमाईश जरिये पत्थरगड्ढी हेतु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06/06/22 की पालना में तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/भू. अ/नेखम/2023/326 दिनांक 20/01/23 द्वारा नेखमबन्दी की पालना रिपोर्ट पेश करने पर प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र हेतु नेखम पैमाईश रिपोर्ट कन्फर्म करने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली में तहसीलदार पचपदरा द्वारा नेखम पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। नेखमबन्दी पैमाईश रिपोर्ट कन्फर्म करने हेतु पत्रावली नम्बर पर ली जाये। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:31 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी संख्या 03 के वकील द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। नेखमबन्दी पालना रिपोर्ट पर विप्रार्थी वकील ने जवाब पेश नही करते हुए सीधे बहस करने का निवेदन किया गया जिस पर उभयपक्षकारान के विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि नेखमबन्दी आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा रिपोर्ट रेकर्ड पर है, तदाअनुसार नेखमबन्दी रिपोर्ट कन्फर्म की जाये जो न्यायहित में आवश्यक है, जिससे प्रार्थी अपने खेत मे स्थापित नेखम बिन्दू अनुसार काबिज हो सके, और नियमानुसार कार्यवाही कर सके, तथा विप्रार्थीगण के मध्य सेढो को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो व अपने हक हिस्से मे शान्ति पूर्वक कब्जा कारत कर सके। नेखम पैमाईश उभय पक्षकारान, राजस्व अधिकारी व पुलिस इमदाद की उपस्थिति में स्थाई मुतकिल बिन्दुओं से हुई है। अतः न्यायहित मे नेखमबन्दी कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

विप्रार्थी संख्या 03 के विद्ववान अधिवक्ता ने बहस करते हुये नेखमबन्दी रिपोर्ट कन्फर्म किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट करते हुये कथन किया की नेखमबिन्दु पालना रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नं. 474 में नेखमबन्दी स्थापित किये गये है। नेखमबन्दी मौका रिपोर्ट बनाते समय विप्रार्थी को किसी भी प्रकार से सूचित नही किया गया है। अतः रेकर्ड पर मौजूद नेखमबन्दी पालना रिपोर्ट को कन्फर्म नहीं करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया, रेकर्ड पर मौजूद फर्द मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया जिसमें पाया की दिनांक 15/12/2022, 03 व 04/01/2023 को प्रार्थी के खेत खसरा नं 470,471 व 472 मौजा बालोतरा की पेमाईश हेतु भू. अ.नि बालोतरा, पटवारी हल्का बालोतरा प्रथम, पटवारी हल्का बिठुजा, द्वारा पैमाईश से पूर्व प्रार्थी, विप्रार्थीगण सेढा पडौसी व रूबरू मौतबिरान को मौके पर उपस्थिति हेतु सूचित किया गया। जिला अभिलेखागार कार्यालय से जारी मौजा बालोतरा के मौमिट्रेस (मूल सीट) क्रमांक 857 दिनांक 23/03/09 व मौजा बिठुजा के मौमिट्रेस क्रमांक 2072 दिनांक 27/12/22 व [illegible] लटठा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार जी.पी.एस व जरीब से [illegible] कायम मुस्तकित बिन्दू A से I के आधार पर नेखमबन्दी कर पत्थर लगवाये गये, जिनका विस्तुत विवरण फर्द मौका रिपोर्ट व नक्शा मे दर्शित है। नेखमबन्दी के बिन्दू एच, 01,02,03,04,05 पर मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना पत्थर लगवाकर नेखमबन्दी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नेखमबन्दी कन्फर्म होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने की हिदायत दी गई। खसरा नं. 472 में प्रार्थी की भूमि 0–10(दस विस्वा) पर विप्रार्थीगण ग्राम बिठुजा के खसरा नं. 01 व 19 के खातेदार का कब्जा है, जिसे नक्शा में बरंग हरा से अंकित किया गया है। खसरा नं 471 में वादी की 0–02–10 (ढाई विस्वा) भूमि पर विप्रार्थी ग्राम बालोतरा के खसरा नं. 474 के खातेदार का कब्जा है, जिसे नक्शा में बरंग बैगनी अंकित किया गया है। श्री पुरखाराम ए.एस.आई पुलिस थाना बालोतरा के नेतृत्व में उपलब्ध पुलिस जाब्ता की मौजुदगी में पत्थर लगवाये गये, विप्रार्थीगण के द्वारा मौके पर पत्थर लगवाने का विरोध किया गया, जिस पर उपस्थित पुलिस व राजस्व कार्मिको द्वारा समझाईश की गई। मौका फर्द बनवाई गई जिस पर पटवारी बिठुजा, बालोतरा, आईएल आर बालोतरा, प्रार्थी, मौतबिरान रामस्वरूप, हरजीराम, जेठुसिंह, व भरत के हस्ताक्षर अकिंत है तथा विप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर से इन्कार किया गया है। प्रार्थी प्रश्नग्रस्त खसरान का अभिलिखित खातेदार टीनेन्ट है, व जिसे अपने खातेदारी मालिकाना की भूमि का सीमाओं की जानकारी हेतु सीमाज्ञान करवाकर नेखमबन्दी करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये दिनांक 17/12/2021 को सीमाज्ञान करवाते हुये नेखमबन्दी आवेदन प्रस्तुत किया गया, अलावा इसके आदेश पारित करने से पुर्व विप्रार्थीगण को सुनवाई सबुत व दस्तावेजात इत्यादी प्रस्तुत करने का पुर्ण अवसर भी दिया गया है, विप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान, नेखमबन्दी आवेदन एवं आदेश की जानकारी होते हुये भी किसी भी प्रकार का वास्तविक उज्र एतराज होता तो वह विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपने स्वंय के खातेदारी के खेत खसरान का सीमाज्ञान करवाते हुये नेखमबन्दी हेतु आवेदन प्रस्तुत करता, जबकि विप्रार्थी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई है। विप्रार्थी द्वारा ऐसा नही करते हुये नेखमबन्दी पालना रिपोर्ट को इस तथ्य के आधार पर स्वीकार नही करने का निवेदन किया कि उसके कब्जे में नेखमबिन्दू स्थापित किये गये, इस सम्बंध मे उनके द्वारा किसी भी प्रकार का सीमाज्ञान के सम्बंध मे दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। विप्रार्थी की आपति निरर्थक व सारहीन प्रतित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत [illegible] खेत की नेखम पैमाईश रिपोर्ट को कन्फर्म करना न्यायोचित प्रतीत होता है। विप्रार्थी इस सम्बंध मे अपने खेत खसरान की विधिक प्रक्रिया अनुसार सीमाज्ञान करवाते हुए नेखमबन्दी हेतु आवेदन य अन्य वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:31 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा उपरोक्त अनवान मुकदमा में आदेश दिनांक 06.06.2022 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा मे भूमि में खेत खसरा सं. 470 रकबा 3–03 बीघा खसरा सं. 471 रकबा 3–14 बीघा, खसरा संख्या 472 रकबा 7–08 बीघा के विवादित भूमि का भू–मापक आयुक्त नियुक्त किया गया था। इस सम्बंध मे तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/भू.अ/नेखम/2023/326 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट कच्ची नेखमबन्दी को कनफर्म किया जाता है। कब्जा प्राप्ति हेतु पृथक प्रार्थना पत्र लाया जा सकेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

दिनांक :– 03.02.23

क्रमांक /रीडर/ 2023/ 145

1. **तहसीलदार पचपदरा आदेशानुसार पालना सुनिश्चित करें व पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से प्राप्त करे ।**

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:31 IST
Reason: SelfAttested